हिंदी कारकों के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षणों का कारकीय विश्लेषण

शेख अंसारपाशा अब्दुलरज़्ज़ाक़
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आधुनिक हिंदी भाषाविज्ञानियों ने कारक के संबंध में दो दृष्टिकोण अपनाए। पहला, संस्कृत की ओर उन्मुख दृष्टिकोण के अनुसार जो क्रिया की उत्पत्ति का कारण हो उसे कारक कहते हैं....(क्रिया जनकत्वम् कारकत्वम्[1]) या कारक यानी नाम का विशेष रूप क्रिया के साथ नाम के अन्वय के परिणाम स्वरूप व्यक्त होता है.....(क्रियान्वयित्वम् कारकत्वम्[2])। दूसरा, उस समय के भारोपीय भाषाशास्त्र से प्रभावित दृष्टिकोण के अनुसार कारक शब्द का वह रूप है, जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ होने वाले संबंध को व्यक्त करता है.....(संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं।[3]) या (कारक नामिक शब्दों का वह रूप होता है, जो शब्द समुदाय में तथा वाक्य में अन्य शब्दों के प्रति नामिक शब्दों के संबंध को व्यक्त करता है। वाक्य के किसी अंग के कार्य में नामिक शब्द का प्रयोग सदा किसी न किसी कारक के रूप में होता है।[4])।

इन दोनों दृष्टिकोणों से हिंदी व्याकरण में कारक, विभक्ति, परसर्ग और कारकों की संख्या को लेकर काफी वाद-विवाद है, यहाँ तक कि कारक किसे कहते हैं? इसमें भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस विवाद के मूल में संस्कृत और हिंदी की व्याकरण परंपराओं का मिश्रण है। संस्कृत दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान संस्कृत की तर्ज़ पर हिंदी मे भी छह कारक के प्रकार मानते हैं.... कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और अधिकरण। एक मत यह भी है कि हिंदी में पाँच ही कारक माने जाएँ; क्योंकि संप्रदान कारक का समाहार कर्म कारक में ही हो जाता है। उस समय के भारोपीय भाषाशास्त्र से प्रभावित विद्वान....कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन आदि आठ कारकों को हिंदी में स्वीकार करते हैं।

संस्कृत परिभाषा के अनुसार क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे ही कारक माना जाता है और 'संबंध' और 'संबोधन' का क्रिया के साथ कोई संबंध व्यक्त नहीं होता इसलिए इन दोनों को संस्कृत विद्वान कारक की कोटि में नहीं मानते, लेकिन हिंदी की परिभाषा में यह दोनों

---

[1] वाजपेयी, किशोरीदास : हिंदी शब्दानुशासन - पृ. 136।
[2] वही, पृ. 136।
[3] गुरु, कामता प्रसाद : हिंदी व्याकरण - पृ. 193।
[4] दीमशित्स, ज. म. : हिंदी व्याकरण की रूपरेखा - पृ. 48।

कारक की कोटि में आ जाते हैं क्योंकि दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने के लिए संबंध का और किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी में आठ कारकों को माना गया है। 'हिंदी व्याकरण की रूपरेखा' के लेखक ज. म. दीमशित्स[5] हिंदी में केवल तीन कारक.... सामान्य (Direct), असामान्य (Indirect), और संबोधन को कारक मानते हैं। भोलानाथ तिवारी[6] ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा है कि, हिंदी में केवल दो ही कारक हैं.... कर्ता और कर्म। उनका कहना है कि इन दो के अलावा शेष सभी तथाकथित कारक-विशेषण या परिशेषक हैं, चाहे उनकी रूप रचना कैसी भी क्यों न हुई हो।

कारक और उनके प्रकारों को लेकर हिंदी व्याकरण में काफी मत-भेद है। हिंदी में कारकों की संख्या को लेकर जो विवाद हुआ उसके तहत कारकों की संख्या आठ से घटकर दो रह गई। अब देखना यह है कि हिंदी में तत्वतः कितने कारक हैं। इससे पहले हिंदी में कारक की अवधारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब-तक उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती तब-तक हम कारकों की संख्या निश्चित नहीं कर सकते।

भाषा संप्रेषण में वाक्य एक महत्वपूर्ण इकाई है। जब एक से अधिक शब्द या पद परस्पर संबंधित होते हैं तो वाक्य की रचना होती है। वाक्य निर्माण के लिए परस्पर संबंधित होने की प्रक्रिया में शब्द या पद जिस व्याकरणिक कोटि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, वह 'कारक' है। कारक शब्द हिंदी में संस्कृत से आया है, जिसकी उत्पत्ति 'कृ' धातु में 'अक्' प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है- 'करने वाला'। अंग्रेजी में इसके समानार्थी शब्द 'Case' है। संस्कृत वैयाकरणों ने कारक का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है, "क्रिया जनकत्वम् कारकत्वम्"[7] इसका सरल अर्थ है कि जो तत्व क्रिया को उत्पन्न करता है, वही कारक है। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर कर्ता और करण का कारकत्व तो सिद्ध होता है, किंतु संप्रदान, अपादान आदि को इस परिभाषा के अंतर्गत कारकत्व प्राप्त नहीं होता। इसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। अतः पतंजलि ने दूसरी परिभाषा प्रस्तुत की - "क्रियान्वयित्वम् कारकत्वम्"।[8] कारकत्व के लिए संज्ञा का क्रिया से अन्वित होना पर्याप्त है। संज्ञा जिन अर्थों में क्रिया से अन्वित होती है, उन अर्थों को ही विभिन्न कारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः 'क्रियान्वयी अर्थ' को ही संस्कृत के वैयाकरणों ने कारक कहा, क्रिया और संज्ञा के अन्वय को नहीं और एक बात भी विचारणीय है कि संज्ञा और क्रिया शब्द भेद हैं। क्या यहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ अन्वय विवक्षित है? शब्द का शब्द से अन्वय किस आधार पर हो सकता है? संस्कृत में एक जगह कहा गया है- "अर्थ द्वारकोही शब्दस्य शब्दांतरेण अभिसंबंधः।" इसके अनुसार एक शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द

[5] दीमशित्स, ज. म. : हिंदी व्याकरण की रूपरेखा - पृ. 48।
[6] तिवारी, भोलानाथ : भाषा चिंतन - पृ. 148-149।
[7] वाजपेयी, किशोरीदास : हिंदी शब्दानुशासन - पृ. 136।
[8] वाजपेयी, किशोरीदास : हिंदी शब्दानुशासन - पृ. 136।

के अर्थ के साथ संबंध होता है। यही वास्तविक अन्वय है। अर्थ के द्वारा ही शब्द का शब्द के साथ अन्वय माना जा सकता है। स्पष्ट है कि कारक एक अर्थ तत्व है। हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने कारक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है- "संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं।"[9] तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा - "क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं।"[10]

हिंदी के दो विख्यात व्याकरणाचार्यों के मत को देखा जाए तो पं. कामता प्रसाद गुरु और आ. किशोरीदास वाजपेयी की परिभाषाओं में एक प्रमुख अंतर दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ 'गुरु' ने वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द का किसी भी दूसरे शब्द से संबंध को 'कारक' माना है, वहीं दूसरी तरफ वाजपेयी ने उसी को 'कारक' माना है जिसका संबंध क्रिया से हो। जहाँ संस्कृत आचार्यों का बल क्रिया के निष्पादन पर रहा है, वहीं हिंदी विद्वानों ने क्रिया के साथ-साथ वाक्य में प्रयुक्त नामिक शब्दों के संबंध को भी केंद्र में रखा है।

पश्चिमी भाषाविदों द्वारा कारक को 'Case' कहा गया है। कारक के संबंध में चिंतन ग्रीक (Greek) भाषा के समय से ही देखा जा सकता है। 'Case' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'Casus' से हुई है, जिसका अर्थ है 'झुकना'। अतः पश्चिम में कारक के संबंध में किया गया चिंतन संज्ञाओं के रूप परिवर्तन के आधार पर किया है। वर्तमान में चार्ल्स फिल्मोर (Charles Filmore-1968) द्वारा कारक के संदर्भ में किया गया चिंतन सबसे आधिक प्रसिद्ध रहा है। उनके द्वारा कारक के संबंध में किया गया विवेचन मुख्यतः अर्थी-पक्ष (Semantic Aspect) पर आधारित है। फिल्मोर ने कारक के संबंध में अपना चिंतन चोम्स्की (Chomsky) द्वारा प्रजनक व्याकरण में कारकीय व्यवस्था (Case System) के लिए दिए गए विचारों से असंतुष्ट होकर किया। सन 1968 में प्रकाशित अपने लेख 'Case for Case' में उन्होंने कहा है-

"The Substantive modification to the theory of transformational grammar which to propose amounts to a reintroduction of the 'Conceptual framework' interpretation of case systems, but this time with a clear understanding of the deep and surface structure."[11]

फिल्मोर ने कारक व्याकरण की व्याख्या करते हुए वाक्य की गहन संरचना (Deep Structure) और बाह्य संरचना (Surface Structure) पर बल दिया है। वाक्य संरचना में क्रिया और संज्ञा पदबंधों के बीच कारक संबंधों की बात करते हुए उन्होने कहा- "The sentence is its basic structure consists of a verb and one or more than one noun phrases, each associated with the verb particular case relationship."[12] स्टोक के अनुसार - "जो रूप संज्ञा, सर्वनाम अथवा

---

[9] गुरु, कामता प्रसाद : हिंदी व्याकरण - पृ. 193।

[10] वाजपेयी, किशोरीदास : हिंदी शब्दानुशासन - पृ. 136।

[11] Fillmore, Charles: The Case for Case।

[12] **Fillmore, Charles: The Case for Case।**

उनके विभिन्न रूपों के साथ प्रयुक्त होता है और जो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के संबंध को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे कारक कहते हैं।"[13] नेशनल इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार - "नामपद, विशेषण अथवा सर्वनाम के वाक्य में अन्य पदों के साथ संबंध द्योतित करनेवाला रूप कारक है।"[14]

अतः तीनों दृष्टियों से कारक के संबंध में दी गई परिभाषाओं एवं विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कारक न तो रूप, न तत्व और न ही वह केवल अन्वय है, बल्कि संज्ञा का क्रिया के साथ आर्थी संबंध ही 'कारक' है। 'कारक' की अवधारणा मुख्यतः अर्थ पर आधारित है, जो वाक्य और अर्थ दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरुजी की परिभाषा में कारक वह तत्व है जो एक संज्ञा शब्द को वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है। संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार तथाकथित संबंध कारक वास्तव में कारक नहीं होता क्योंकि संबंध एक संज्ञा शब्द से अभिहित अर्थ का दूसरी संज्ञा से अभिहित अर्थ के साथ होता है न कि साक्षात क्रिया के साथ। इसलिए संस्कृत परिभाषा के अनुसार संबंध तत्व कारक की कोटि में नहीं आता। जबकि गुरुजी की व्याख्यानुसार वह कारक की कोटि में आता है। क्योंकि जिनका संबंध बताया जा रहा है, वे दोनों वाक्य में वियमान हैं और कारक संबंधों के आधार पर वाक्य रचनाओं का निर्धारण होता है।

संस्कृत में छह कारक हैं। हिंदी में उपर्युक्त छह कारकों के साथ 'संबंध कारक' को भी जोड़कर सात कारक माने गए हैं। हिंदी का व्याकरण लिखने वाले परवर्ती वैयाकरणों में से कुछ ने कामताप्रसाद गुरु जैसी परिभाषा दी हैं, तो कुछ ने संस्कृत वैयाकरणों का अनुसरण करके अपनी व्याख्या की है।[15]

उपर्युक्त दोनों मतों का समन्वय करते हुए कुछ हिंदी वैयाकरणों ने इस प्रकार परिभाषा दी है- "कारकत्व प्रातिपदिक के अर्थ में निहित शक्ति का नाम है जिसका क्रिया से साक्षात या परंपरा से संबंध होता है।"[16] यह परिभाषा भी वास्तव में संस्कृत वैयाकरणों द्वारा दी गई परिभाषा

---

[13] देशमुख, अंबादास : हिंदी और मराठी की व्याकरणिक कोटियाँ - पृ.186।

[14] वही, पृ. 186।

[15] **कामता प्रसाद गुरु की व्याख्या के समानान्तर व्याख्या-**

शर्मा, आर्येन्द्र : ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, पृ. 34।

दीमशित्स, ज. म.: हिंदी व्याकरण, पृ. 48।

संस्कृत वैयाकरणों के समानान्तर व्याख्या-

वर्मा, रामचन्द्रः मानक हिंदी कोश भाग-1, पृ.-516।, सक्सेना, बाबू राम।

वर्मा, धीरेन्द्रः नवीन व्याकरण पृ.-37।

वाजपेयी, किशोरीदासः हिंदी शब्दानुशासन - पृ. 136।

शिवनाथः हिंदी कारकों का विकास - पृ. 14।

[16] शर्मा, देवेन्द्र नाथ - लेख- 'हिंदी भाषा का विकास', हिन्दी भाषा की रूप संरचना (सं॰ भोलानाथ तिवारी एवं किरण बाला), साहित्य सहकार प्रकाशन, दिल्ली ।

के अनुसार ही है, लेकिन इस परिभाषा में क्रिया के साथ-साथ अथवा परोक्ष अन्वय कहने से संबंध कारक भी कारक की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि "कारक एक अर्थ तत्व है, जिसका प्रकार्यात्मक संबंध वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से अथवा नामिक पदों से साक्षात या परंपरा से है।" इन दोनों परिभाषाओं को स्वीकार करने पर कारक के संबंध में जो मत-मतांतर हैं वह खत्म हो सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम निःसंदेह हिंदी में सात कारकों को स्वीकार कर सकते हैं, जो निम्नवत हैं- कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध एवं अधिकरण।

हिंदी कारकों के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण :-

कारक एवं परसर्ग के अंतर को इसके पूर्व स्पष्ट किया जा चुका है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि संज्ञा तथा उस पर संलग्न कारक चिह्न अर्थात् परसर्ग मिलकर उस कारक को द्योतित करते हैं जो संज्ञा–संज्ञा एवं संज्ञा–क्रिया के मध्य विद्यमान अर्थ संबंध के रूप में अवस्थित रहता है। कारक चिह्न या परसर्ग द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि वह कारक किस प्रकार का है। इनमें से कुछ कारक संबंध स्थूल या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहते हैं तो कुछ शून्य रूप में रहते हैं। कारकों के वाक्यविन्यासीय प्रकार्य को केंद्र में रखकर उनके अभिलक्षणों का विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा संदर्भ आधारित होती है, जिसके विविध प्रयोग उसी संदर्भ एवं परिस्थिति में अर्थ ग्रहण करते हैं, ठीक इसी प्रकार हिंदी में भी कारकों के विविध प्रयोग देखें जा सकते हैं, एक कारक विभिन्न परसर्गों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो एक परसर्ग भी अनेक कारकों को व्यक्त कर सकता है, जैसे, कर्ता कारक में- 'ने', 'को', 'से' 'शून्य' आदि परसर्ग आटे हैं। इनमें 'ने' केवल कर्ता के अर्थ में आने के कारण स्व-परसर्ग है और 'को', 'से' आदि पर-परसर्ग हैं। इस दृष्टि से एक कारक में आने वाली विभिन्न परसर्गों को दो वर्गों में रखा जा सकता है- क) स्व-परसर्ग और ख) पर-परसर्ग।

क) **स्व-परसर्ग-**

स्व-परसर्ग उसे कहते हैं जो किसी एक कारक में आता है अथवा जो मुख्य रूप से एक ही कारक का बोध कराता है, या उसके अर्थ में बहुत प्रचलित है। उदाहरण- कर्ता- Ø (शून्य)/ ने; कर्म- को; अधिकरण- में, पर।

ख) **पर-परसर्ग-**

पर-परसर्ग उसको कहते हैं कि जो एक कारक के अर्थ में प्रचलित है और कहीं-कहीं दूसरे कारक के अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरण- कर्ता- को, से, का आदि।

1. कर्ता कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया में करने वाले का बोध होता है, उसे 'कर्ता' कारक कहते हैं। हिंदी में कर्ता कारक के अर्थ में दो प्रकार के रूप प्रयोग में आते हैं। पहला शून्य परसर्ग (Zero postposition) और दूसरा 'ने' परसर्ग। यह निश्चित है कि किस परिस्थिति में 'ने' का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं होता। इसके अभिलक्षण निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं –

1. जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो, या द्वितीय खंड सकर्मक हो तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध

भूतकालों में कर्ता कारक 'ने' परसर्ग सहित होता है।

जैसे, 1. सुनील ने उत्तर दे दिया।
2. लता ने गाना गा लिया।
3. उसने चावल खा लिए।
4. मैंने नहा लिया।

इसके उलट वर्तमान और भविष्यकाल में 'ने' परसर्ग का प्रयोग नहीं होता।

जैसे- 1. पूजा खाना खाती है।
2. सविता सो रही है।
3. विजय कल खेत जाएगा।

लेकिन हिंदी फिल्मों के संवाद में 'ने' के जो प्रयोग मिलते हैं, वे भी उलझनों में डालने जैसे ही हैं। जैसे,-

1. जिन्होंने रोटियाँ खानी हों, वे इधर आ जाएँ।
-- फिल्म – श्री चार सौ बीस (राजकपूर द्वारा उक्त)

अतः नियमतः 'ने' परसर्ग का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है। पर, यह वाक्य भूतकाल का नहीं माना जा सकता। क्योंकि "खानी हों" क्रिया के आधार पर यह वाक्य भविष्य काल का प्रतीत होता है।

3. अकर्मक क्रिया जब अपने साथ सजातीय कर्म लाती है, तो वहाँ कर्ता कारक परसर्ग सहित आता है।

जैसे- 1. दिव्या ने स्वादिष्ट भोजन बनाया।
2. सिपाहियों ने बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ीं।

2. **कर्म कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण**

जिस वस्तु पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है, उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। यह वाक्य के पदों के अनुक्रम में दूसरे स्थान पर आता है। कर्म, कर्ता का अभीष्ट होता है। इसी से कारकों में कर्ता के बाद कर्म की ही महत्ता मानी जाती है। हिंदी व्याकरण में कर्म कारक के लिए दो प्रकार के परसर्ग रूपों का प्रयोग किया जाता है। पहला है - शून्य परसर्ग (Zero postposition) और दूसरा है- 'को' परसर्ग।

1. प्राणिवाचक और गौण कर्म के साथ 'को' का प्रयोग होता है,

जैसे – 1. चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।
2. माँ बच्चे को दूध पिला रही है।
3. विजय आकाश को बुला रहा है।

2. कभी-कभी कर्म पर विशेष बल देने के लिए या उसकी प्रधानता दिखाने के लिए मानवेतर या अचेतन कर्म के साथ 'को' परसर्ग का प्रयोग होता है,

जैसे – 1. हम घर **को** दुबारा बनवा रहे हैं।
2. इस काम **को** आज ही पूरा करना है।

3. अनुभव, पसंद आदि से संबंधित क्रियाओं के कर्ता के साथ 'को' परसर्ग का प्रयोग होता है,

जैसे – 1. बाबा **को** आम बहुत पसंद हैं।

2. अफसर **को** पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है।

3. अंजुम **को** प्यास लगी है।

4. समय वाचक अव्ययों में प्राय: 'को' नहीं लगता, परंतु जहाँ पर निश्चित समय बताया जाए वहाँ पर 'को' का प्रयोग होता है, जैसे –

1. मैं शाम **को** बाजार जाऊंगा।
2. हम ईद **को** घर जा रहे हैं।
3. अमन दस तारीख **को** दिल्ली जा रहा है।

5. करना, बनाना, पुकारना, कोसना, सुलाना, जगाना आदि कुछ रूढ़ क्रिया युक्त वाक्यों में 'को' परसर्ग चिह्न सहित कर्म कारक का प्रयोग होता है, जैसे –

1. संतोष राई **को** पहाड़ बनाता है।
2. माँ बच्चे **को** पुकार रही है।
3. दाई ने बच्चे **को** सुलाया।
4. माँ ने बच्चे **को** जगाया।
5. सुमन **को** घर का सारा काम करना पड़ता है।

6. कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का समावेश करने के लिए कर्म 'को' कारक चिह्न सहित रखा जाता है और जहाँ विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध कराने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ परसर्ग रहित कर्म व्यवहृत होता है, जैसे-

1. यह नीम मैंने लगाया था।
2. इस नीम को मैंने ही लगाया था।

प्रथम वाक्य सामान्य है। कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है परंतु दूसरे वाक्य में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध कराया गया है।

3. करण कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

जिस साधन से क्रिया व्यापार का संपादन होता है, उसे 'करण कारक' कहते हैं। हिंदी व्याकरण में करण का परसर्ग चिह्न 'से' एवं 'के द्वारा' है। कर्म के समान ही करण कारक महत्वपूर्ण है, किसी क्रिया-प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे पास आवश्यक साधन का होना अत्यंत जरूरी होता है। वाक्य संरचना में 'से' का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है।

1. साधन सूचक के साथ 'से' परसर्ग का प्रयोग, जैसे-

1. कविता <u>चाकू से</u> आम काट रही है।
2. बच्चे <u>चम्मच से</u> खाना खाते हैं।
3. पिताजी <u>बस से</u> घर आते हैं।
4. शाम <u>ट्रेन से</u> दिल्ली जाएगा।

उपर्युक्त उदाहरणों में चाकू, चम्मच, बस, ट्रेन आदि क्रिया को पूरा करने के साधन हैं। उपरोक्त उदाहरणों में से अगर 'करण कारक' को निकाल दे तो वाक्य तो पूरा होता है पर अर्थ दूसरा देता है।

आम काटने के लिए, खाना खाने के लिए, घर आने के लिए और दिल्ली जाने के लिए साधन का होना आवश्यक है। इसलिए वाक्य संरचना में 'से' परसर्ग महत्वपूर्ण है।

2. परस्पर व्यवहार प्रकट करने के लिए 'से' परसर्ग का प्रयोग, जैसे-
    1. मैं कलेक्टर **से** मिला।
    2. वह सब**से** नहीं मिलते।
    3. मैंने अध्यापक **से** बात की।
3. प्रेरित कर्ता के साथ 'से' परसर्ग का प्रयोग, जैसे-
    1. मालिक नौकर **से** काम करवा रहा है।
    2. मैंने रामू **से** कपड़ा धुलवा दिया।
    3. विजय अपने पिताजी **से** रुपए मांगता है।
4. रीति-सूचक के साथ 'से' परसर्ग का प्रयोग- जैसे,-
    1. सोहेल समय **से** पहले तैयार हो जाता है।
    2. वे सब ध्यान **से** सुनते हैं।
    3. सादगी **से** रहो।
    4. होली बड़े धूमधाम **से** मनाई गई।
5. कार्य के करण वाचक शब्द के साथ 'से' परसर्ग का प्रयोग- जैसे,-
    1. सुमन बुखार **से** पीड़ित है।
    2. आपके दर्शन **से** लाभ हुआ।
    3. मैं अपने काम **से** थक गया हूँ।
6. भावात्मक संबंध प्रकट करने के लिए 'से' परसर्ग का प्रयोग- जैसे,-
    1. मैं अपने दोस्तों **से** प्यार करता हूँ।
    2. मुझे पैसों **से** मोह नहीं।
    3. नेहरू जी बच्चों **से** प्रेम करते थे।
    4. शीला रोहन **से** खफ़ा है।
7. प्रेरणार्थक क्रियाओं के वाक्यों में गौण कर्तृत्व के अर्थ-बोध के लिए 'से' परसर्ग का प्रयोग। जैसे-
    1. मैं मज़दूरों **से** यह काम करवाऊँगा।
    2. मालिक ने नौकर **से** बगीचा साफ करवाया।

4. संप्रदान कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

जिसके लिए कुछ किया जाय या जिसको कुछ दिया जाय, इसका बोध करानेवाले शब्द के रूप को 'संप्रदान कारक' कहते हैं। संप्रदान कारक के लिए 'को', 'के लिए', 'के वास्ते' आदि का प्रयोग होता है। इससे पता यह चलता है कि संप्रदान कारक का संबंध कुछ अन्य कारकों से भी है, विशेषतः कर्म कारक से, दोनों 'को' के अर्थबोधक हैं। किंतु दोनों के प्रयोग में भेद स्थापित किया जा सकता है। जब दृश्यगतिबोधक क्रिया का लक्ष्य व्यक्ति होता है तब प्रायः संप्रदान का प्रयोग चलता है; लक्ष्य पर यदि ज़ोर दिया जाता है तो सामान्यतः कर्म या अधिकरण कारक का व्यवहार होता है। लक्ष्य के निश्चित रहने पर

भी प्रायः संप्रदान का ही प्रयोग उचित समझा जाता है। मगर लक्ष्य की प्राप्ति होने पर संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं होता। इसके अभिलक्षण निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं –

1. संप्रदान का परसर्ग 'को' देना क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे,-

1. अंजुम ने अनीस **को** बाजार जाने के लिए पैसे दे दिए।
2. बच्चों **को** आनंद ने मिठाई दे दी।

2. उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बतानेवाले संज्ञा शब्द या संज्ञा-सर्वनाम के रूप में जो व्यापार का फल पाता है। ऐसा प्रयोग निम्न वाक्यों में होता है।

अ) आवश्यकताबोधक वाक्यों में, जैसे-

1. हम लोगों **को** आधे घंटे के अंदर चल देना चाहिए।
2. फिर क्या करना है आप**को**?

ब) ऐसे वाक्यों में, जिनमें विधेय 'मिलना', 'लगना', 'पहुंचाना', 'होना', 'सूझना', 'भाना', 'आना', 'अच्छा लगना', 'दिखना', 'दिखाई देना', आदि अकर्मक क्रियाओं, 'याद आना', 'दया आना', 'नींद आना', पसंद आना', आदि क्रिया-नामिक शब्दबंधों या प्रकारता बोधक शब्द 'चाहिए' द्वारा व्यक्त होता है, जैसे-

1. मन **को** आराम नहीं मिल रहा था।
2. बहुत चोट लगी बेचारी **को**।
3. उस**को** एक अच्छा खयाल सूझा।
4. लड़के **को** ऐसा कहना नहीं भाता।

3. ऐसे वाक्यों में, जिनमें विधेय ऐसी सकर्मक क्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है, जिनका व्यापार कर्म पर लक्षित होता है, जैसे-

1. सोवियत संघ ने भारत **को** काफी आर्थिक सहायता प्रदान की।
2. आप इन पत्रों को अंजुम **को** दे देना।
3. वह उन**को** बधाई का तार भेज देगा।

4. 'मालूम', 'पसंद', 'मंजूर', 'प्यारा', 'प्रिय' आदि विशेषणों के साथ आने वाले ऐसे संज्ञा शब्द या संज्ञा-सर्वनाम के रूप में, जो व्यापार के फल के प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे-

1. पिताजी **को** यह मालूम हो गया है।
2. भाई **को** यह किताब पसंद है।
3. हम**को** हमारी भाषा प्यारी है।
4. उन**को** मंजूर है।

5. अपादान कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

वाक्यार्थ में जिस वस्तु या स्थान से किसी वस्तु या व्यक्ति की पृथकता या अलगाव का बोध होता है, उसे 'अपादान' कारक कहते हैं। अपादान में भी 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बिलगाव के अवधिबोधक को अपादान कहा है- 'ध्रुवमपायेपादानम' (अष्टाध्यायी)। हिंदी में अपादान के तीन भेद हैं-

1. गतिविषयक अपादान

2. स्थितिविषयक अपादान
3. रक्षाभयादिविषयक अपादान

इनके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं-

1. अ. पेड़ से आम गिर रहे हैं।
   आ. वह अपने गाँव **से** चल दिया।
2. इ. हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा शहर **से** हटकर है।
   ई. बच्चे रेलगाड़ी की खिड़की **से** झांक रहे हैं।
3. उ. उसने साँप **से** मेरी रक्षा की।
   ऊ. साँप नेवले **से** बहुत डरता है।

1. ईर्ष्या, घृणा, प्यार, डर आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे,-

1. किसी **से** ईर्ष्या न करो।
2. पाप **से** घृणा करो, पापी से नहीं।
3. उसे सादगी **से** प्यार है।
4. मैं साँप **से** बहुत डरता हूँ।

2. अलगाव सूचित करने के लिए 'से' का प्रयोग होता है। यह अलगाव स्थान और काल के संदर्भ में प्रकट होता है। जैसे,-

1. पेड़ **से** पत्ते गिरते हैं।
2. बटवे **से** पैसे निकालो।
3. आसमान **से** बुँदे टपकती हैं।

6. संबंध कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

संज्ञा-पदबंध के निर्माण में संबंध कारक का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा में का, के, की संबंध सूचक परसर्ग हैं। इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं या सर्वनामों का आपसी संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात ही संबंध सूचक परसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में संबंध सूचक परसर्ग के दो विकारी रूप हैं- का, रा, (यह रूप पुरुष आधारित हैं।)। लिंग-वचन के कारण 'का' और 'रा' के दो-दो रूप बनते हैं जो निम्नवत हैं- 1. का- के, की। 2. रा- रे, री। इसके अभिलक्षण निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं –

1. संबंध सूचक परसर्ग द्वारा दो संज्ञा शब्दों या संज्ञा की तरह प्रयोग में आने वाले शब्दों के पारस्परिक संबंध की सूचना दी जाती है। जैसे,-

1. रमेश का लड़का
2. घर के नौकर
3. सुमन की पुस्तक

यहाँ 'का' का विकारी रूप द्वितीय संज्ञा के लिंग, वचन के अनुसार बदलता है, जैसे-

1. सुरेश का घर सुंदर है। (पु. ए.)

2. रमेश का लड़का अच्छा है। (पु. ए.)
3. सुमन का भाई लंबा है। (पु. ए.)
4. सुरेश की बहन सुंदर है। (स्त्री. ए.)
5. रमेश की लड़की अच्छी है। (स्त्री. ए.)

उपर्युक्त शब्दों में 'का' परसर्ग का प्रयोग द्वितीय संज्ञा के लिंग, वचन के अनुसार हुआ है। घर, लड़का और भाई पुल्लिंग एकवचन होने के कारण 'का' परसर्ग का प्रयोग हुआ है और बहन, लड़की स्त्रीलिंग एकवचन होने के कारण 'की' परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतः संबंध सूचक परसर्ग का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बाद होता है।

2. आदरार्थ शब्दों के साथ पुल्लिंग एकवचन में भी 'के'/'रे' का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. उस**के** पिताजी डॉक्टर हैं।
   2. राजेश **के** मामा पुलिस हैं।
   3. मे**रे** भाई वकील हैं।
3. स्त्रीलिंग शब्दों का संबंध जब दूसरे शब्दों से बताया जाता है तब उसके साथ 'की' का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, जैसे-
   1. मुंबई महाराष्ट्र **की** राजधानी है।
   2. श्वेता प्रशांत **की** बहन है।
   3. हमारी कक्षा में लड़कियों **की** संख्या ज्यादा है।
4. पुनरुक्ति (समान अर्थ रखने वाले शब्दों के मध्य) में का, के, की का प्रयोग-
   1. दूध **का** दूध 2. पानी **का** पानी
   3. गाँव **का** गाँव 4. रात **की** रात
   5. साल **के** साल 6. महीने **के** महीने
5. जहाँ दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा से बनी हो –
   1. मिट्टी **का** बर्तन 2. स्टील **की** प्लेट
   3. रबड़ **की** गेंद 4. कांच **का** शीशा
6. जब किसी व्यक्ति के पास किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को बतलाना हो तब उसके पूर्व के, रे, का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. अखिल **के** पास पैसा नहीं है।
   2. मे**रे** पास बहुत पुस्तकें हैं।

7. अधिकरण कारक के वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण

अधिकरण से तात्पर्य क्रिया का आधार है, वह 'अधिकरण कारक' है। उदा.- "वह चटाई पर बैठता है।" में 'बैठना' क्रिया का आधार 'चटाई' है और यह क्रिया की जाती है कर्ता 'वह' द्वारा। हिंदी व्याकरण में अधिकरण कारक के लिए दो प्रकार के परसर्ग रूपों का प्रयोग किया जाता है। पहला है– 'में' परसर्ग और दूसरा है- 'पर' परसर्ग। समान्यतः 'में' परसर्ग का प्रयोग भीतरी आधार के लिए होता है और बाहरी आधार के लिए 'पर' परसर्ग का।

1. स्थान सूचक क्रिया-विशेष पदबंध में किसी वस्तु के भीतर क्रिया का होना बताने के लिए 'में' का प्रयोग होता है। जैसे,-1. अलमारी **में** कपड़े हैं।
   2. आज दाल **में** बहुत नमक है।
   3. पढ़ने **में** तुम्हारी रुचि है।
2. समय सूचक क्रिया-विशेषण में अवधि बताने के लिए 'में' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. साल **में** बारह महीने होते हैं।
   2. कक्षा **में** तीस छात्र हैं।
   3. वह एक घंटे **में** ठीक होगा।
3. हिंदी में आज, कल आदि समयवाचक शब्दों में 'में' परसर्ग का प्रयोग नहीं होता परंतु जहाँ पर अवधि बताई जाए, वहाँ 'में' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. हम आज या कल **में** काम पूरा करेंगे।
   2. मैं आज–कल **में** आ जाऊँगा।
4. किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को व्यक्त करने में, जैसे,-
   1. फूलों **में** गुलाब सबको प्रिय है।
   2. सीता और गीता **में** गीता सुंदर है।
   3. नारी-नारी **में** फर्क होता है।
5. मूल्य सीमा को निर्धारित करने के लिए 'में' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. मैंने यह पुस्तक पचास रूपये **में** खरीदी।
   2. आपने यह स्वेटर कितने **में** खरीदा?
   3. उसने कुर्सी साठ रूपये **में** बेची।

13. स्थान-सूचक क्रिया-विशेषण में किसी वस्तु का आधार बताने के लिए, 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. किताब मेज **पर** है।
   2. सिर **पर** टोपी है।
   3. शीला घर **पर** ही है।
14. दूर के अर्थ को प्रकट करने के लिए, 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. आपका घर यहाँ से कितनी दूरी **पर** है?
   2. मेरा घर कुछ ही दूरी **पर** है।
15. क्रियाविशेषण पद के पश्चात 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. लाख कोशिश करने **पर** भी मैं तुम्हें नहीं भुला सका।
16. कारण-सूचक क्रिया-विशेषण पदबंध के साथ 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-
   1. शोर मचाने **पर** मार पड़ेगी।
   2. अच्छा काम करने **पर** पुरस्कार मिलेगा।
   3. सवाल का जवाब न देने **पर** अध्यापक ने डांटा।

17. समय-सूचक क्रिया-विशेषण पदबंध के साथ 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है।

जैसे,- 1. वह ठीक समय **पर** घर पहुँचा।

2. राधिका ठीक समय **पर** कॉलेज पहुँची।

3. एक-एक घंटे **पर** दवा दी जाए।

18. अधिवक्ता सूचक क्रिया-विशेषण पद के साथ 'पर' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे,-

1. युद्ध में सिपाही **पर** सिपाही मर रहे हैं।

2. दिन **पर** दिन भाव चढ़ रहे हैं।

19. एक क्रिया के अनंतर जब दूसरी क्रिया हो, तब प्रथम क्रिया शब्द के कृदंत रूप में पर लगता है। जैसे,- 1. भोजन पकने **पर** खाया जाए।

2. भोजन करने **पर** पान खाया जाए।

3. बच्चे के सोने **पर** अंजुम सो गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वाजपेयी, किशोरीदास, (1958) : हिंदी शब्दानुशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

2. गुरु, कामता प्रसाद, (सं॰ 2022) : हिंदी व्याकरण, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

3. दीमशित्स, ज. म. (1983) : हिंदी व्याकरण, रादुगा प्रकाशन, मास्को।

4. तिवारी, भोलानाथ : भाषा चिंतन ।

5. Fillmore, Charles, (1968) : The Case for Case, in E. Bach and R. Harms (eds.), Universals in Linguistic Theory: 1-90. New York: Holt, Rinechart and Winstone.

6. देशमुख, अंबादास, (1960) : हिंदी और मराठी की व्याकरणिक कोटियाँ - अतुल प्रकाशन, कानपुर।

7. शर्मा, देवेन्द्र नाथ - 'हिंदी भाषा का विकास', हिन्दी भाषा की रूप संरचना (सं॰ भोलानाथ तिवारी एवं किरणबाला), साहित्य सहकार प्रकाशन, दिल्ली।
8. आयंगर, वी॰ कृष्णस्वामी, (1986) : 'कारक और विभक्ति', हिन्दी भाषा की रूप संरचना (सं॰ भोलानाथ तिवारी एवं किरणबाला), साहित्य सहकार प्रकाशन, दिल्ली।
9. कर, चित्त रंजन (2006): हिंदी परसर्ग, बी॰ आर॰ पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली।
10. तिवारी, भोलानाथ, (1999) : हिंदी भाषा की आर्थी संरचना, साहित्य सहकार प्रकाशन, दिल्ली।